स्वच्छता हमे अनेक बीमारियों से बचाती है

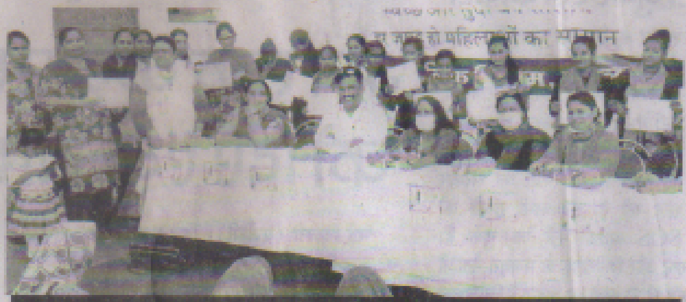

- स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्लम बस्तियों में स्वच्छता जागरुकता
- कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों ने नागरिकों को दी समझाईश

रतलाम। अस्सी प्रतिशत बीमारियां अस्वच्छता एवं दूषित वातावरण से होती हैं। व्यक्ति अपनी आमदनी का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा दवा पर खर्च करता है। बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखना अति आवश्यक है। यह सभी के सहयोग से ही संभव है, क्योंकि गंदगी ही सभी बीमारियों का मूल कारण है। स्वच्छता हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जरूरी है। हर बीमारी से स्वच्छता ही हमें बचाती है। बीमारियों से बचाव के लिए अपने घरों व आसपास के क्षेत्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उक्त सलाह और समझाईश शुक्रवार को शहर के दिलीप नगर, अर्जुन नगर और बजरंग नगर सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के रहवासियों की उपस्थिति में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.मीना वर्मा और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.देवेन्द्र शाह ने दी है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपस्थित क्षेत्र के रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए कहां कि इसलिए बचाव उपचार से बेहतर है। यदि हम ठीक से अपने घर की, अपने मोहल्ले की और अपने शहर की सफाई का उचित ध्यान रखें तो बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। इनमें से मुख्य रूप से बुखार, मलेरिया,अतिसार, मोतीझरा गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस (आंत्र शोथ), पेचिश, पीलिया, हैजा, पेट में कीड़े जैसे पेट सम्बन्धी रोग या चमड़ी व आँख के विभिन्न संक्रमण हैं। शुक्रवार को आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत परियोजना क्रमांक-1 की वरिष्ठ पर्यवेक्षक सुश्री हेमलता गेहलोत, डॉ.मीना वर्मा, डॉ.देवेन्द्र शाह, डॉ.पिंकी बोरीवाल, डॉ. नेहा वर्मा, डॉ.नेहा सिंह और समाजसेवी हेमलता तपस्या उपस्थिति रहे।

स्पर्धाओं में आमना और अनुपम ने बाजी मारी-स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान निबंध,चित्रकला, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन स्पर्धाओं में बेहतर प्रस्तुति देने वाले प्रतियोगी आमना कुरैशी, सुल्ताना कुरैशी, संगीता चौहान, भारती तोमर, निकहत खान, शीरीन खान, माया, पूनम, आलिया, शबीना, सोनू, कार्तिक शर्मा, खुशी तोमर, सीमा, नाहिद, निकता, मनीषा और अनुपम आदि को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया।इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने उपस्थितजनों को पेम्पलेट वितरित करते हुए फीडबैक में भी सहयोग कर नगर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने का आव्हान किया है। उपस्थित नागरिकों ने ये लिए संकल्प अपने आस-पास रखे कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिये लोगों को बतायें, गंदगी नहीं फैलाएंगे और ऐसा करने वालों को विनम्रता पूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाये रखने संबंधी अभियान चलाएंगे, पान, गुटका और तम्बाकू जैसे उत्पादों का सेवन करने वालों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे, सरकारी,गैरसरकारी संस्थानों, स्कूलों,सार्वजनिक इलाकों, मौहल्लों, कालोनियों, बागीचों और घरों में स्वच्छता बनाये रखने के लिए लोगों को शिक्षित बनाएंगे, स्वच्छता के लिए नालियों की गंदगी, नालो,तालाबों के आस-पास जमे कूड़े-करकट, सड़कों की सफाई करेंगे।

इन्दौर

मास्क लगाना मत भूलो, कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ

सीएमएचओ बोले–कोरोना का टीका आ गया, लेकिन...

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोरोना से बचाव हेतु जनमान्य से अपील करते हुये बताया गया कि विगत दिनों में कोविड संक्रमण के बढते मामलों को दृष्टिगत रखते हुये आमजनों को अत्यधिक सतर्कता और सजगता के साथ सामाजिक दूरी, मास्क तथा सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुए अपने आप का बचाव करना अति आवश्यक हो गया है।

उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान आमजन कोरोना से संबंधित बचाव के व्यवहार अत्यंत सतर्कतापूर्वक अपना रहे थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद यह देखा जा रहा है कि लोगों में कोरोना से संबंधित सावधानियां जैसे कि - सामाजिक दूरी का पालन, मास्क लगाना तथा हाथ धोना अब उतनी गंभीरता से नहीं किया जा रहा। यदि लोग मास्क लगाने और सामाजिक दूरी जैसे व्यवहार का पालन करते हैं, तो कोरोना के प्रकरणों में काफी कमी ला सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यद्यपि कोरोना का टीका आ चुका है, परंतु दूसरा डोज लगने के दो हफ्ते बाद ही प्रतिरोधक क्षमता विकसीत होती है। अभी आमजन का वैक्सीनेशन होना शेष है, हर्ड इम्युनिटी की भ्रांत धारणा से भी लापरवाही बढ़ रही है और कोरोना के प्रकरण बढते देखे जा रहे हैं, इसलिए मास्क का प्रयोग अब भी एक प्रभावी बचाव के साधन के रुप में कार्य कर रहा है। अतः आमजन से अनुरोध है कि कोविड के प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी-खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पर फीवर क्लीनिक में अपनी जाँच तुरंत करवाएं, स्वयं इलाज न करें, ऐसी स्थिति में सामाजिक दूरी का पालन करना एवं मास्क अनिवार्यतः लगाना इस व्यवहार को अपने दैनिक जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना होगा।

कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण का समय हुआ पूरा

रतलाम. जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की समय सीमा शनिवार को पूरी हो गई है। पहले चरण में जिले में 8134 अधिकारी और कर्मचारियों को टीके लगना थे लेकिन कुछ कर्मचारियों ने समय सीमा पूरी होने के बाद भी अब तक टीके नहीं लगवाए हैं। वहीं दूसरी ओर अब 22 फरवरी से टीकाकरण के दूसरे दौर की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा डोज उन लोगों को लगेगा जिनके पहले डोज की समय सीमा 28 दिन पूरी हो चुकी है।

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिलेभर के फंटलाइन वर्कर और अन्य लोगों में खुशी का माहोल है। टीके का दूसरा डोज लगने के अगले 14 दिन के बाद से टीका लगवाने वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगेगी जिसके बाद उक्त व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में 7 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को टीके लगने की प्रि या चल रही है।

टीकाकरण की यह प्रक्रिया जिले के विभिन्न अस्पतालों के साथ ही प्राथमिक व सामुदायिक केंद्रों पर भी चल रही है जिसके चलते इस काम ने गति पकड़ रखी है जिन लोगों को यह टीके लगने हैं। उनके पास एक दिन पूर्व एसएमएस पहुंच रहे हैं जिसमें टीका लगवाने के लिए दिन भी दर्शाया गया है। टीकाकरण की इस प्रि या के दौरान दूसरे दौर में जिले के कई अधिकारियों ने भी टीके लगवाए हैं।

कोरोना से बचाव के लिए टीके का पहला डोज लगने के बाद अब 22 फरवरी से दूसरे डोज की शुरुआत होने जा रही है। दूसरे डोज की सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को है जिनके द्वारा 16 जनवरी को पहले चरण की शुरुआत के साथ ही टीके लगवा लिया गया था। अब इन्हीं लोगों को दूसरे डोज के लिए संबंधित केंद्रों पर पहुंचना है और टीका लगवाना है।

शनिवार को 326 अधिकारियों, कर्मचारियों का टीकाकंरण किया गया

रतलाम। रतलाम जिले में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को जिले में 326 अधिकारियों, कर्मचारियों को टीके लगाए गए। इनमें राजस्व, पुलिस, नगर निगम विभागों के अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि शनिवार तक जिले में कुल 12293 अधिकारियों, कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

326 अधिकारियों, कर्मचारियों का टीकाकरण किया

रतलाम। रतलाम जिले में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को जिले में 326 अधिकारियों, कर्मचारियों को टीके लगाए गए। इनमें राजस्व, पुलिस, नगर निगम विभागों के अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि शनिवार तक जिले में कुल 12293 अधिकारियों, कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

नगर निगम तिराहे पर चार दुकानों का कब्जा हटाया, 4000 जुर्माना लगाया

स्वच्छता अभियान के मद्देनजर कार्रवाई की

भास्कर संवाददाता | रतलाम

स्वच्छता अभियान में नगर निगम अमले ने अवैध गुमटी व दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। शनिवार को निगम अमले ने नगर निगम तिराहे के चार दुकानदारों पर कार्रवाई की। इन्होंने छज्जे निकालकर व सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा था।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने छज्जे हटाकर बाहर रखा सामान जब्त करवाया। साथ ही प्रत्येक दुकानदार 4000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसकी सूचना मिलने शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया मौके पर पहुंचे और छोटे दुकानदार पर बड़ा जुर्माना लगाने का विरोध किया। इसके बाद निगम ने अतिक्रमण करने वाले इरफान खान, शकील खान, वीरेंद्र सिंह और वाहिद खान से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला। कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, जीके जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, उपयंत्री राजेश पाटीदार, राजस्व उप निरीक्षक हरीश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार शनिवार को छत्री पुल और दो बत्ती क्षेत्र के 13 फुटकर व्यापारियों से पॉलीथीन जब्त कर जुर्माना लगाया।

निगम तिराहे से अतिक्रमण हटाता निगम अमला।

स्वयं सहायता समूह सदस्य को मिलेगी 40 हजार रुपये की वर्किंग कैपिटल

रतलाम। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को वर्किंग कैपिटल के रूप में 40 हजार रुपये की प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। इसके अलावा निर्धारित अधिकतम सीमा तक का मान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक अनुदान सहायता व निर्धारित सीमा तक व्यय का 50 प्रतिशत तक बिक्री और ब्रांडिंग के लिए सहायता मिलेगी।

उपसंचालक उद्यानिकी यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का उद्देश्य है कि तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता का निर्माण किया जाए। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ऋण दिलाना भी योजना का उद्देश्य है।

कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रणाली पर जोर

कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को जारी किए निर्देश

रतलाम। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर इ ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने के संदर्भ में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के शासकीय ई–मेल बन चुके है उसकी जानकारी हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में जिला कलेक्ट्रेट भिजवाई जाए। यदि ई–मेल नहीं बने है तो विभागीय नोडल अधिकारी भोपाल से संपर्क कर ई–मेल बनवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर एनआईसी रतलाम से संपर्क किया जाए। कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि इ–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यालय में उपलब्ध हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मेन पावर एवं अन्य आवश्यक जानकारी गूगल शीट में दर्ज कराएं। यदि पूर्व में दर्ज जानकारी में संशोधन हो तो उसे अपडेट कर जिला कार्यालय को अवगत कराएं। कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि जिला कार्यालयों में इ–ऑफिस प्रणाली त्वरित गति से लागू किए जाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किए जाने हेतु आपके कार्यालयों में उपलब्ध हार्डवेयर की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा चाही गई है। इस जानकारी के लिए पूर्व में कुछ विभागों द्वारा जानकारी दी गई है। शेष विभाग द्वारा जानकारी शीघ्र एक्सेल शीट में तैयार करके एनआईसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। निर्देशित किया गया है कि निर्धारित प्रारूप में जानकारी तीन दिवस में एनआईसी कार्यालय एवं ईमेल में एक्सेल शीट में तैयार कर भेजें। राज

नगरीय निकायों के सभी खाते पोर्टल से होंगे लिंक

रतलाम. नगरीय निकायों के सभी खाते ई-नगरपालिका पोर्टल से लिंक किये जाएंगे। नगरीय निकायों के अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अंतर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किए जाएंगे। अब नगरीय निकायों में सभी प्रकार के आय-व्यय ई-नगरपालिका के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे। कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई-नगरपालिका पोर्टल से ही की जाएगी। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाएगी तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग लेजर संधारित की जाएगी। ऐसी योजनाएं जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस की जाएगी। पत्रिका

ई–नगरपालिका पोर्टल से लिंक होंगे सभी खाते

रतलाम। नगरीय निकायों के सभी खाते ई–नगरपालिका पोर्टल से लिंक किये जाएंगे। अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किये जाएंगे। निकायों में सभी प्रकार के आय–व्यय, कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई–नगरपालिका पोर्टल से ही की जाएगी। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाएगी तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग लेजर संधारित की जाएगी। ऐसी योजनाएँ जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही है, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस की जाएगी।

दबंग

स्वच्छता हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जरूरी है

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्लम बस्तियों में स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों ने नागरिकों को दी समझाईश

दैनिक अवंतिका ● रतलाम

अस्सी प्रतिशत बीमारियां अस्वच्छता एवं दूषित वातावरण से होती है। व्यक्ति अपनी आमदनी का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा दवा पर खर्च करता है। बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखना अति आवश्यक है। यह सभी के सहयोग से ही संभव है, क्योंकि गंदगी ही सभी बीमारियों का मूल कारण है। स्वच्छता हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जरूरी है। हर बीमारी से स्वच्छता ही हमें बचाती है। बीमारियों से बचाव के लिए अपने घरों व आसपास के क्षेत्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उक्त सलाह और समझाईश शुक्रवार को शहर के दिलीप नगर, अर्जुन नगर और बजरंग नगर सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के रहवासियों की उपस्थिति में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.मीना वर्मा और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.देवेन्द्र शाह ने दी है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपस्थित क्षेत्र के रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए कहा कि इसलिए बचाव उपचार से बेहतर है। यदि हम ठीक से अपने घर की, अपने मोहल्ले की और अपने शहर

की सफाई का उचित ध्यान रखें तो बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। इनमें से मुख्य रुप से बुखार, मलेरिया, अतिसार, मोतीझरा गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस (आंत्र शोध), पेचिश, पीलिया, हैजा, पेट में कीड़े जैसे पेट सम्बन्धी रोग या चमड़ी व आँख के विभिन्न संक्रमण हैं।

शुक्रवार को आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत परियोजना क्रमांक-1 की वरिष्ठ पर्यवेक्षक सुश्री हेमलता गेहलोत, डॉ.मीना वर्मा, डॉ.देवेन्द्र शाह, डॉ.पिंकी बोरीवाल, डॉ. नेहा वर्मा, डॉ.नेहा सिंह और समाजसेवी हेमलता तपस्या उपस्थित रहे।

स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान निबंध,चित्रकला, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन स्पर्धाओं में बेहतर प्रस्तुति देने वाले प्रतियोगी आमना कुरैशी, सुल्ताना कुरैशी, संगीता चौहान, भारती तोमर, निकहत खान, शीरीन खान, माया, पूनम, आलिया, शबीना, सोनू, कार्तिक शर्मा, खुशी तोमर, सीमा, नाहिद, निकता, मनीषा और अनुपम आदि को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया।इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने उपस्थितजनों को पेम्पलेट वितरित करते हुए फीडबैक में भी सहयोग कर नगर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने का आव्हान किया है। उपस्थित नागरिकों ने ये लिए संकल्प अपने आस-पास रखे कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिये लोगों को बतायें, गंदगी नहीं फैलाएंगे और ऐसा करने वालों को विनम्रता पूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाये रखने संबंधी अभियान चलाएंगे।

आरोग्य

कचरा पात्र नहीं रखने पर फुटकर विक्रेताओं पर किया जा रहा है जुर्माना

रतलाम। नगर को साफ–स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है किन्तु नगर के सब्जी, फल–फ्रुट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भुट्टा बाजार, घांस बाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक व राम मंदिर क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत विश्वमंगल दुध डेरी पर 500, बुरहानी जनरल स्टोर, मोहम्मद जनरल स्टोर, छावनीवाला, मुबारक पर 250-250, बसंतश्री, वृदांवन बेकरी, राठौर नमकीन पर 100-100, गंगाबाई, बसंतीबाई, संगीता, रवि चौधरी, कल्लोबाई, हुर्दीबाई, नन्दीबाई, सुनीताबाई, हुरी माँ, कालू बाथम, कमल, रेणमाबाई, गोपाल, शिव गंगा, सुमित्रा व लीलाबाई पर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईश दी गई। कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में गंदगी करने पर जमीन पर बैठकर व्यवसाय करने वालो पर 50 रूपये व ठेलागाड़ी पर व्यवसाय करने वालो पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किये जाने के साथ ही सामग्री भी जप्त की जावेगी। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एम.के. जैन, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत लाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। इन्दौर

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस पृष्ठ 05 दिनांक 21/02/2021

डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, स्वच्छता के फायदे बताए

रतलाम (आरएनएन)। अस्सी प्रतिशत बीमारियां अस्वच्छता एवं दूषित वातावरण से होती हैं। व्यक्ति अपनी आमदनी का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा दवा पर खर्च करता है। बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखना अति आवश्यक है। यह सभी के सहयोग से ही संभव है, क्योंकि गंदगी ही सभी बीमारियों का मूल कारण है।

स्वच्छता हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जरूरी है। हर बीमारी से स्वच्छता ही हमें बचाती है। बीमारियों से बचाव के लिए अपने घरों व आसपास के क्षेत्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उक्त सलाह और समझाइश शुक्रवार को महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.मीना वर्मा और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.देवेन्द्र शाह ने दी है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपस्थित क्षेत्र के रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए कहा कि इसलिए बचाव उपचार से बेहतर है। यदि हम ठीक से अपने घर की, अपने मोहल्ले की और अपने शहर की सफाई का उचित ध्यान रखें तो बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। इनमें से मुख्य रूप से बुखार, मलेरिया, अतिसार, मोतीझरा गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस (आंत्र शोथ), पेचिश, पीलिया, हैजा, पेट में कीड़े जैसे पेट सम्बन्धी रोग या चमड़ी व आँख के विभिन्न संक्रमण हैं।

शहर के दिलीप नगर, अर्जुन नगर और बजरंग नगर सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के रहवासियों की उपस्थिति में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान

स्पर्धाओं में आमना और अनुपम ने बाजी मारी

स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान निबंध, चित्रकला, रांगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन स्पर्धाओं में बेहतर प्रस्तुति देने वाले प्रतियोगी आमना कुरैशी, सुल्ताना कुरैशी, संगीता चौहान, भारती तोमर, निकहत खान, शीरीन खान, माया, पूनम, आलिया, शबीना, सोनू, कार्तिक शर्मा, खुशी तोमर, सीमा, नाहिद, निकता, मनीषा और अनुपम आदि को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया।

214

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– तेज एक्सप्रेस पृष्ठ ..10... दिनांक...21/02/...2021

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम । शासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा राम मंदिर क्षेत्र में दुकानदार, फुटकर व्यवसायियों व सब्जी विक्रताओं से 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन जब्त कर भविश्य में उपयोग ना करने की समझाईश दी नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें

बोहरा बाखल में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

रतलाम । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति षिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/– व जलकर 86,540/–, प्रियदर्षनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 3,76,905/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/– व जलकर 76,470/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/– व जलकर 47,595/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/– व जलकर 22,680/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/– व जलकर 55,320/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/– व जलकर 59,500/–, वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 26,62,144/– व जलकर 6,71,025/–, कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 71,000/– व जलकर 19,000/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/– व जलकर 64,780/–, बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2,88,000/– व जलकर 35,730/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 32,68,144/– संपत्तिकर व 7,13,535/– जलकर की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लकड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को षिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार टोप एक्सप्रेस पृष्ठ 06 दिनांक 21/02/2021

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 19 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 667 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 19 फरवरी को सैलाना रोड, अलकापुरी से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं।

निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियाँ आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

– उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

– राम मंदिर क्षेत्र में दुकानदारों व फुटकर व्यवसायियों से जब्त की पॉलीथीन

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रूट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते है तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा राम मंदिर क्षेत्र में दुकानदार, फुटकर व्यवसायियों व सब्जी विक्रताओं से 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन जब्त कर भविष्य में उपयोग ना करने की समझाईश दी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

प्रसारण

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड, राम मंदिर क्षेत्र में दुकानदारो व फुटकर व्यवसायियों से जब्त की पॉलीथीन

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा राम मंदिर क्षेत्र में दुकानदार, फुटकर व्यवसायियों व सब्जी विक्रताओं से 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन जब्त कर भविष्य में उपयोग ना करने की समझाईश दी।नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

स्वदेश

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार—नवभारत—पृष्ठ 13 दिनांक 21/02/2021

देश अब तेजी से विकास करना चाहता है

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली 20 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है. मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा- केंद्र और राज्यों को देश की प्रगति के लिए मिल कर काम करना होगा. आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सम्मान करना होगा और उसे समुचित प्रतिनिधित्व भी देना होगा. उन्होंने कहा कि इस बार के बजट का जिस तरह से स्वागत हुआ है वह इस बात का संकेत है कि देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है.

किसानों को गाइड करने की जरूरत

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तिलहन जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि खाद्य तेल आदि के आयात पर निर्भरता कम हो. उन्होंने कहा कि किसानों को दिशा दे कर ही इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं के आयात खर्च होने वाला धन किसानों के खाते में तो जा ही सकता है.

एजेंडा को जमीन पर उतारेगा मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के लिए मध्यप्रदेश इस साल 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। चौहान नीति आयोग की संचालन परिषद की छठवीं बैठक में आज यहां मंत्रालय से वर्चुअल भागीदारी कर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के छह सूत्री एजेंडा को समय-सीमा में प्रदेश में व्यवहारिक रूप दिया जाएगा।

नवभारत

स्वच्छ सर्वेक्षण–2021– स्लम बस्तियों में चिकित्सा विशेषज्ञों ने नागरिकों को दी समझाइश

हमें अनेक बीमारियों से बचाती है स्वच्छता

रतलाम। अस्सी प्रतिशत बीमारियां अस्वच्छता व दूषित वातावरण से होती हैं। व्यक्ति अपनी आमदनी का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा दवा पर खर्च करता है। बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखना अतिआवश्यक है। यह सभी के सहयोग से ही संभव है, क्योंकि गंदगी ही सभी बीमारियों का मूल कारण है। स्वच्छता हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जरूरी है। हर बीमारी से स्वच्छता ही हमें बचाती है। बीमारियों से बचाव के लिए अपने घरों व आसपास के क्षेत्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है।

ये सलाह और समझाइश शहर के दिलीप नगर, अर्जुन नगर और बजरंग नगर सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के रहवासियों की उपस्थिति में आयोजित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डा. मीना वर्मा और शिशु रोग विशेषज्ञ डा. देवेंद्र शाह ने दी। महिला व बाल विकास विभाग की परियोजना क्रमांक-1 की वरिष्ठ पर्यवेक्षक हेमलता गेहलोत, डा. पिंकी बोरीवाल, डा. नेहा वर्मा, डा. नेहा सिंह और समाजसेवी हेमलता तपस्या उपस्थित रहीं।

प्रतियोगिता की विजेता बालिकाओं के साथ चिकित्सक। ●नईदुनिया

प्रतियोगिता में दिखाया उत्साह

स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान निबंध, चित्रकला, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रस्तुति देने वाले प्रतियोगी आमना कुरैशी, सुल्ताना कुरैशी, संगीता चौहान, भारती तोमर, निकहत खान, शिरीन खान, माया, पूनम, आलिया, शबीना, सोनू, कार्तिक शर्मा, खुशी तोमर, सीमा, नाहिद, निकता, मनीषा और अनुपम आदि को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने उपस्थितजनों को पर्चे वितरित करते हुए फीडबैक में भी सहयोग कर नगर को स्वच्छता की दौड़ में नंबर वन बनाने का आह्वान किया।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– पत्रिका –––पृष्ठ 01 दिनांक 21/02/2021

गंदगी पर 5 हजार रुपए जुर्माना, कांग्रेस के पहुंचते ही एक हजार में बदल गया

पत्रिका

नगर निगम के सामने से हटाया सड़क का अतिक्रमण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के नगर निगम के सामने गंदगी करने वाले व सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना करने गए दल को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। शनिवार शाम को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के नेतृत्व में गए दल ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना दुकानदारों पर किया, लेकिन शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों के पहुंचते ही दबाव बनाया व 5 हजार रुपए का जुर्माना 1 हजार रुपए में बदल गया। बाद में अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन कांग्रेस के दबाव में कम किए गए जुर्माने की अब चर्चा हो रही है। इस दौरान निगम के सामने बनी हुई पुलिस चौकी को फिर से शुरू करने की बात कही गई।

शाम को करीब 6 बजे निगम आयुक्त झारिया, सिटी इंजीनियर जीके जायसवाल, सुरेशचंद्र व्यास, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह आदि जेसीबी, ट्रैक्टर व मजदूर आदि दलबल के साथ निगम कार्यालय के सामने बनी हुई गुमटियों के यहां पर पहुंचे। यहां पर दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण व गंदगी करने वालों पर जुर्माने करने व अतिक्रमण हटाने की बात हुई। यहां पर पंचर बनाने की दुकानें, वाहन सुधारने की दुकाने आदि है। इनके द्वारा दुकान के बाहर करीब 5 से 10 फिट सड़क घेरी हुई पाई गई। इसके अलावा गंदगी को सड़क पर ही फैंका जाता है। इन पर ही जुर्माना करने के आदेश आयुक्त झारिया ने दिए। इस दौरान पुलिस के आने के बाद आयुक्त ने सवाल किया कि पुलिस चौकी बनी हुई है तो पुलिस यहां पर बैठती क्यों नहीं है। इस पर पुलिसकर्मियों ने कहा की चौकी जर्जर है। इस पर आयुक्त झारिया ने कहा कि चौकी को रंगरोगन कराया दिया जाएगा। इसके अलावा जो गंदगी है उसको साफ करा दिया जाएगा। यहां पर यातायात का दबाव है इसलिए पुलिस बल रहना जरूरी है। करीब डेढ़ घंटे की कार्रवाई इस दौरान की गई।

कचरा पात्र नहीं रखने पर फुटकर विक्रेताओं पर किया जा रहा जुर्माना

रतलाम। नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है किन्तु नगर के सब्जी, फल-फ्रुट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भुट्टा बाजार, घांस बाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक व राम मंदिर क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत विष्णमंगल दुग्ध डेरी पर 500, बुरहानी जनरल स्टोर, मोहम्मद जनरल स्टोर, छावनीवाला, मुबारक पर 250-250, बसंतश्री, वृदांवन बेकरी, राठौर नमकीन पर 100-100, मंगलबाई, बसंतीबाई, संगीता, रवि चौधरी, कन्नोबाई, हुदीबाई, नन्दीबाई, सुनीताबाई, हुरी मॉं, कालू बाथम, कमल, रेशमाबाई, गोपाल, चिव गंगा, सुमित्रा व लीलाबाई पर 50-50 का जुर्माना किया एवं अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाइश दी गई। 217